संख्या– 5A10 /IX(65) /बजट/प्लान–नॉन प्लान/2007–08

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन विभाग,
उत्तराखण्ड , देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादूनः दिनांक 07-05-2007 ~~अप्रैल, 2007~~

विषयः– **नागरिक उड्डयन विभाग उत्तरांचल के लिये वित्तीय वर्ष 2007–2008 हेतु अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053 नागर विमानन के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष का बजट आवंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड के लिये वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिये अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में निम्न तालिका के विवरणानुसार रू० 54.00 लाख (रुपये चौवन लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि रूपये हजार में

क्रम सं०	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधानित धनराशि (2007–2008)	निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि (2007–2008)
1	2	3	4
	पूंजी लेखा....		
	5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय		
	02– विमान पत्तन–आयोजनागत		
	800–अन्य व्यय		
	03–हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान		
	24–वृहत् निर्माण कार्य	1350	1350
	04–हवाई पट्टी का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य		
	24–वृहत् निर्माण कार्य	750	750
	08– देहरादून में हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण		
	24–वृहत् निर्माण कार्य	3300	3300
	योग–04	5400	5400

रुपये चौवन लाख मात्र

2– उक्त निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि से यदि कोई निर्माण/विकास कार्य कराये जायेंगे या कोई प्रतिकर आदि भुगतान किया जायेगा तो उनके सक्षम तकनीकी एजेन्सी/विभाग से आगणन लो०नि०वि० की दरों पर बनवाकर तथा प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से अनुमान प्राप्त कर उस पर शासन स्तर पर गठित टी०ए०सी० की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय हेतु शासन से अवमुक्त की जायेगी।

3– प्लान पक्ष की उक्त धनराशि के विपरीत व्यय की स्वीकृति नियोजन विभाग से प्लान परिव्यय की पुष्टि होने के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से ही दी जायेगी।

4– सामग्री/सम्पूर्ति आदि की मद में धनराशि व्यय करने के पूर्व डी0जी0एस0एण्ड डी0/ टैण्डर/कोटेशन आदि का सम्पूर्ण विवरण देते हुए पृथक से शासन की स्वीकृति प्राप्त कर धनराशि व्यय की जायेगी।

5– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रूल्स, टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृति की जा रही है।

7– जिन कार्यों के लिये आवश्यक हो उनके लिये शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्माण एजेन्सी से लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर आगणन बनाकर उसपर सक्षम तकनीकी एजेन्सी से तकनीकी परीक्षण कराकर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–2008 के अनुदान संख्या–2a के लेखाशीर्षक 5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन –आयोजनागत 800–अन्य व्यय 00–की पूर्व पृष्ठ के प्रस्तर–1 में उल्लिखित तालिका की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 27/XXVII(2)/2006 दिनांक 18 अप्रैल, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–546 /IX(65) /बजट/प्लान–नॉन प्लान/2007–08, समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी।
5– वित्त अनुभाग–3
6– गार्ड बुक।
7– एन0आई0सी0सचिवालय ।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव